संख्या-04/2025/I/1178864/2025/11-4099/80/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत **वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान** लखनऊ के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पुनर्विनियोजन/2025-2026/533/राज्य कर, दिनांक 14.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-06-वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 19.12 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-06-**वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान**, **लखनऊ** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 7.12 लाख (रु0 सात लाख बारह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति **(संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसा**र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ **मानक मद** 02 मजदूरी (*2*) रुपये 12,000 (रुपये बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ **मानक मद** 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20252026-1990668

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर के उपशीर्षक-06 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	3,12,000 रुपये तीन लाख बारह हजार मात्र	3,12,000 रुपये तीन लाख बारह हजार मात्र	3,12,000 रुपये तीन लाख बारह हजार मात्र	1,88,000 रुपये एक लाख अट्ठासी हजार मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	10 (जलकर / जल प्रभार)	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	09 (विद्युत देय)	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	0 शून्य	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 19,12,000	₹ 7,12,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	0 शून्य	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	12,000 रुपये बारह हजार मात्र	12,000 रुपये बारह हजार मात्र	2,12,000 रुपये दो लाख बारह हजार मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	02 (मजदूरी)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 19,12,000	₹ 7,12,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- उपलब्ध बजट का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर के उपशीर्षक-06 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की मानक मद सं0-09 विद्युत की सम्भावित बचत रु० 12.00 लाख (रुपये बारह लाख मात्र), मानक मद सं0-10-जलकर एवं जल प्रभार की सम्भावित बचत रू० 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र), मानक मद सं0-17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व की सम्भावित बचत रू० 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) एवं मानक मद सं०-16- व्यवसायिक सेवाओं हेतु भुगतान की सम्भावित बचत रू० 3.12 लाख (रूपये तीन लाख बारह हजार मात्र) है।

2- उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:-

मद सं०-02 मजदूरी::

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद सं0-02 मजदूरी के अंतर्गत रू0 5,00,000.00 (पांच लाख रु०) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था, जब कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये अनुमानित व्यय को दृष्टिगत रखते हुये रु0 13,00,000.00 (तेरह लाख रु०) की मांग की गयी थी। प्रश्नगत मद में माह अक्टूबर 2025 तक रू0 4,94,600.00 (रु० चार लाख चौरानवे हजार छः सौ मात्र) का भुगतान किया जा चुका है तथा रु० 5,400.00 (रु0 पांच हजार चार सौ मात्र) की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, में सुरक्षा जवानों (पी0आर0डी0) पर व्यय का भुगतान 90,000.00 प्रतिमाह (सात माह हेतु) किये जाने हेतु रु0 7,00,000.00 (रू0 सात लाख) होना सम्भावित है । अतः प्रश्नगत मद में अवशेष को शामिल

करते हुये बर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपया 07.00 लाख (रु0 सात लाख) की आवश्यकता है।

मद सं०-05 स्थानान्तरण यात्रा व्ययः-

वित्तीय वर्ष 2025-26 मानक मद मद सं०-05 स्थानान्तरण यात्रा व्ययः से संबंधित भुगतान के अंतर्गत रू0 2,00,000.00 (दो लाख रु०) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था, जब कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये रु0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख) की मांग की गयी थी। प्रश्नगत मद में माह अक्टूबर 2025 तक रु0 4,25,200.00 (रू0 चार लाख पच्चीस हजार दो सौ) का भुगतान मद संख्या 04,05 एवं 45 के ग्रुपिग के माध्यम से किया जा चुका है तथा ग्रुपिग रु0 24,200.00 (रु० चौबीस दो सौ मात्र) की धनराशि अवशेष है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में एक स्थानान्तरण यात्रा व्यय रु० 33,320.00 (रु0 तैतीस हजार तीन सौ बीस) का व्यय मद सं0-05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय में होना सम्भावित है। अतः प्रश्नगत मद में अवशेष को शामिल करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपया 12 हजार (रू0 बारह हजार) की आवश्यकता है।

मद सं0-58 आउटसोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतन

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद सं०-58 आउटसोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान के अंतर्गत रू0 35,00,000.00 (पैतीस लाख रु०) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंवटन किया गया था, जब कि वितीय वर्ष 2025-2026 के लिये रु0 50,00,000.00 (पचास लाख रु०) की मांग की गयी थी। प्रश्नगत मद में माह अक्टूबर 2025 तक रु० 23,78,020.00 (रु० तेईस लाख अठहतर हजार बीस मात्र) का भुगतान किया जा चुका है तथा रु० 11,21,980.00 (रु० ग्यारह लाख इक्कीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, में कुशल एवं अकुशल कुल 22 कर्मियों पर व्यय का भुगतान किये जाने हेतु रु0 22,00,000.00 (रु० बाईस लाख) होना सम्भावित है। अतः प्रश्नगत मद में अवशेष को शामिल करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपया 12.00 लाख (रू0 बारह लाख) की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-175-E-9-150-X-2025-26-दिनांक: 12-12-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- दिसंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/ जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अरविन्द सिंह
उप सचिव।